

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/ 737

दिनांक:- 8/10/15


आदेश

एस.टी.सी आवासीय योजना, खण्ड-भरतपुर के अधीन आवासीय भूखण्ड को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आय वर्ग	आवासीय भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1	LIG	2-F-1(Corner)	70.59
2	LIG	2-F-7	55.75
3	MIG-A	1-M-1(Corner)	90.00
4	MIG-A	1-M-8	85.75
5	MIG-A	1-M-9	85.75
6	MIG-A	1-M-142(Corner)	90.00
Total		06	

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासीय भूखण्ड के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवासीय भूखण्ड नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे तथा आवासीय भूखण्ड का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त अलवर, रा0आ0म0 अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड भरतपुर, रा0आ0म0 भरतपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

कम्प्यूटर मल


सम्पदा प्रबंधक(मु0)